RB/ESTT No./157/2015

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2015/CFP/5 New Delhi, dated 15.12.2015

The General Managers (P)
All Indian Railways &
Production Units etc.
(As per standard list).

Sub:- Selection for the post of Ticket Examiner against 16-2/3% LDCE quota.

As the Railways are aware, in terms of Para 189 of IREM, 16-2/3% quota of posts in the lowest grade of Commercial Clerks, Ticket Collectors, Office Clerks and other categories of Clerks like Store Clerks etc. are to be filled by promotion of Matriculate erstwhile Group 'D' employees GP Rs.1800 to GP Rs.1900/GP Rs.2000 with a minimum of two years service in the concerned seniority unit entirely on merit on the basis of competitive examination. The minimum educational qualification to the above categories in GP Rs.1900 for direct recruitment have been revised w.e.f. 17.12.2014 as 12th (+2 stage) or its equivalent examination with not less than 50% marks in the aggregate, 50% marks is not to be insisted upon in case of SC/ST/Ex-servicemen.

2. A question has been raised by one of the Railways whether consequent upon revision of minimum educational qualification from Matriculation to 12th (+2 stage) or its equivalent examination with not less than 50% marks in the aggregate, 50% marks should not be insisted upon in case of SC/ST/Ex-servicemen employees for promotion to the above categories in PB-1 Rs.5200-20200 GP Rs.1900/GP Rs.2000 against 16-2/3% promotion quota or otherwise.

3. The matter has been considered by the Board. It has been decided that, while the fresh selection against 16-2/3% promotion quota may be conducted as per the clause of revised qualification in case of SC/ST/Ex-servicemen too, the existing staff eligible otherwise as on 17.12.2014 (date on which the educational qualification has been revised) with the pre-revised qualification i.e. Matriculation may also be considered to be eligible to the selection for promotion against the said quota irrespective of the fact whether they are Gen/OBC/SC/ST/Ex-servicemen as per the extant procedure.

Please acknowledge receipt.

(M.K. Meena)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board

www.nfirindia.org

NATIONAL FEDERATION OF INDIAN RAILWAYMEN (N.F.I.R.)
3, Chelmsford Road, New Delhi

No. II/6/Part 6

Dated: 18/12/2015

Copy forwarded to the General Secretaries of affiliated Unions of NFIR for information & comments if any.

C/: Media Centre/NFIR.

(Dr M. Raghavaiah)
General Secretary

आरबीई सं.157/2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2015/सीएफपी/5 नई दिल्ली, दिनांक 15.12.2015

महाप्रबंधक (का.)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: 16-2/3% एलडीसीई कोटा के तहत टिकट परीक्षक के पद के लिए चयन।

जैसा कि रेलों को ज्ञात है आई.आर.ई.एम. के पैरा 189 के अनुसार, वाणिज्य लिपिक, टिकट कलेक्टर, कार्यालय लिपिक और लिपिकों की अन्य कोटियों जैसे भंडार लिपिक आदि के न्यूनतम ग्रेड में पदों के 16-2/3% कोटे को प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पूर्णत: मेरिट के आधार पर ग्रेड पे 1800/- रु. के उन पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कर्मचारियों जिन्होंने मैट्रीकुलेट परीक्षा पास की हो और जिनकी संबंधित वरिष्ठता यूनिट में कम से कम दो वर्षों की सेवा पूरी हो गई हो, को ग्रेड पे 1900 रु./ग्रेड पे 2000/- रु. में पदोन्नत करके भरा जाना है। सीधी भर्ती के लिए ग्रेड पे 1900/- रु. में उपर्युक्त कोटियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 17.12.2014 से संशोधित करके 12वीं (+2 स्तर) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा कर दी गई है जिसमें कुल 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पूर्व सैनिकों के मामले में 50% अंक अनिवार्य नहीं किए गए हैं।

2. एक रेलवे द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रीकुलेशन से संशोधित करके कम-से-कम 50% अंकों के साथ 12वीं (+2 स्तर) या इसके समकक्ष करने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पूर्व सैनिकों के मामले में उपर्युक्त कोटियों को 16-2/3% पदोन्नति कोटा के तहत पीबी-1 5200-20200 रु., ग्रेड पे 1900 रु./ग्रेड पे 2000 रु. में पदोन्नत करने के लिए 50% अंक पर जोर देना चाहिए अथवा नहीं।

3. इस मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है। यह विनिश्चय किया गया है कि 16-2/3% पदोन्नति कोटा के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों के मामले में भी संशोधित शैक्षणिक योग्यता के शर्त के अनुसार नया चयन आयोजित किया जाए, परन्तु यदि मौजूदा कर्मचारी 17.12.2014 (जिस तारीख को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया है) को अन्यथा पात्र हों तो उनके संबंध में इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि वह सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अ.जा.अजजा./पूर्व सैनिकों से संबंधित हैं, संशोधनपूर्व अर्हता अर्थात् मैट्रीकुलेशन के साथ भी उक्त कोटे के तहत विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति के चयन के लिए पात्र समझा जाए।

कृपया पावती दें।

(एम. के. मीना)
उप निदेशक स्था. (एन)
रेलवे बोर्ड

CMG12012.DOC